

7. जल शक्ति अभियान और महिला आजीविका : एक विश्लेषण

1. डॉ. रामशंकर

परियोजना निदेशक

बाबू जगजीवन राम पीठ, ब्राउस

2. डॉ. मनोज कुमार गुप्ता

परियोजना सह-निदेशक,

डॉ. अम्बेडकर पीठ, ब्राउस

3. डॉ. देबेंद्र नाथ दास

सहायक निदेशक, एमजीएनसीआरई,

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, हैदराबाद

शोध सारांश

जल संकट के निवारण और उन्नयन के लिए जल शक्ति अभियान भारत का भविष्यगामी अभियान है। जल संचयन और संरक्षण की दिशा में कई अभियान एवं प्रयास किये गए हैं जिनके माध्यम से ग्रामीण आजीविका में सुधार के भी प्रयास भी किये गए। ऐसे कई अध्ययन सामने आये हैं। प्रस्तुत शोध में विशेषतः जल शक्ति अभियान का महिला आजीविका पर क्या प्रभाव रहा है तथा जल शक्ति अभियान के अंतर्गत जल संचयन और संरक्षण तथा महिला आजीविका किस प्रकार अंतर्निहित इसके अंतर्संबंधों के अध्ययन पर केन्द्रित है। अध्ययन हेतु बुंदेलखंड परिक्षेत्र को चयनित किया जायेगा जो पानी समस्या को लेकर आये दिन सुर्खियों में रहता है। प्रस्तुत शोध पत्र में जल संचयन-संरक्षण, महिला आजीविका तथा पंचायत में विकास आदि मानदंडों का अध्ययन है।

प्रस्तावना

जल शक्ति मिशन, जिसे जल जीवन मिशन भी कहा जाता है, इसका विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, बल्कि ये विकेंद्रीकरण का भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवेन, वीमेन ड्रिवेन मूवमेंट है। इसका मुख्य आधार, जन आंदोलन और जन भागीदारी है।

नीति आयोग (2018) के एक अध्ययन में 122 देशों के जल संकट की सूची में भारत 120वें स्थान पर खड़ा था। वर्ष 2050 तक जल संकट की वजह से देश की जीडीपी को 6 प्रतिशत का नुकसान होगा (मलंचा चक्रवर्ती, 2019)। डॉ. अम्बेडकर ने जल संरक्षण नीति के संदर्भ में कहा है कि 'पानी ही धन है। पानी लोगों की संपत्ति है और इसका वितरण अनिश्चित है, सही तरीका प्रकृति के खिलाफ शिकायत करना नहीं बल्कि पानी का संरक्षण करना है।' (राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, 2021 बढ़ते जल संकट से निपटने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2019 में 'जल शक्ति मंत्रालय' बनाया। इसी के तहत जल शक्ति अभियान की शुरुआत जुलाई, 2019 में जल संरक्षण और जल सुरक्षा के लिये की गई।

देश में महिला एवं पुरुषों की श्रम बल में भागीदारी में काफी असमानता दिखती है। काम करने लायक पुरुषों की कुल आबादी में करीब 67 प्रतिशत रोजगार से जुड़े हैं, लेकिन महिलाओं का यह आंकड़ा महज 9 प्रतिशत है। पुरुष और महिलाओं के बीच इस अंतर कम कर आर्थिक गतिविधियों को और अधिक रफ्तार दी जा सकती है (बिजनेस स्टैण्डर्ड, 17.12.2020)। महिला आजीविका के बगैर किसी भी देश का विकास संभव नहीं है। कोविड-19 के दौरान 4.5 लाख महिलाओं को जल के परीक्षण और प्रोत्साहन के लिये प्रशिक्षित किया गया।

जुलाई 2019 में केंद्र सरकार ने जल शक्ति मिशन की योजना बनाते हुए यह तय किया कि 2024 तक समस्त घरों को जल सप्लाई करना है। सरकार ने इस अभियान पर बल देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि हर घर जल कार्यक्रम पर फोकस करना जरूरी है। इसके लिए सरकार ने पूरे भारत में जल की समस्या से जूझते 256 जिलों में से 1,592 ब्लॉक्स को पहचानने की प्रक्रिया शुरू किया और फिर उन्हें पेयजल उपलब्ध करवाया। आज भी यह कार्य जारी है।

जल शक्ति मिशन

वास्तव में जल शक्ति मिशन, जिसे जल जीवन मिशन भी कहा जाता है, इसका विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, बल्कि ये विकेंद्रीकरण का भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवेन, वीमेन ड्रिवेन मूवमेंट है। इसका मुख्य आधार, जन आंदोलन और जन भागीदारी है। इसलिए जल जीवन मिशन को अधिक सशक्त, अधिक पारदर्शी बनाने के लिए हाल ही में कई और कदम भी उठाए गए हैं।

वास्तविकता यह है कि राज्य सरकारें प्राकृतिक जलाशयों जैसे झील, तालाब, कुएं और नदियों का संरक्षण नहीं कर पा रही हैं, जबकि पर्यावरणविदों ने कई बार इन जलाशयों में कम होते जल स्तर के बारे में राज्य सरकारों को चेताया है। इसलिए भारत सरकार को आगे आना पड़ा। क्योंकि यदि इन जलाशयों का सही तरीके से संरक्षण किया जाए तो जल की कमी को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

इसके लिए सरकार ने जल जीवन मिशन ऐप भी लांच किया। इस ऐप पर आपको अभियान से जुड़ी सभी जानकारियां एक ही जगह पर मिल जाएंगी। कितने घरों तक पानी पहुंचा, पानी की क्वालिटी कैसी है, वाटर सप्लाई स्कीम का विवरण, आदि सब कुछ इसी ऐप पर मिलेगा।

इसके अलावा, आपके गांव की जानकारी भी उस पर होगी। इससे वाटर क्वालिटी मोनिटरिंग और सर्विलांस फ्रेमवर्क से वाटर क्वालिटी को बनाए रखने में बहुत मदद मिलेगी।

खास बात यह कि गाँव के लोग भी इस ऐप की मदद से अपने यहाँ के पानी की शुद्धता पर बारीक नजर रख पाएंगे। इसी लक्ष्य के साथ सरकार द्वारा विशेषकर जल और स्वच्छता के लिए, सवा दो लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि सीधे ग्राम पंचायतों को दी गई है। देखा जाए तो आज एक तरफ जहां ग्राम पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पारदर्शिता का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है।

कहना न होगा कि ग्राम स्वराज को लेकर केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता का एक बड़ा प्रमाण जल शक्ति/जीवन मिशन और पानी समितियां भी है। क्योंकि आजादी से लेकर साल 2019 तक, हमारे देश में सिर्फ 3 करोड़ घरों तक ही नल से जल पहुंचता था। वहीं, वर्ष 2019 में जल जीवन मिशन शुरू होने के बाद से, 5 करोड़ घरों को पानी के कनेक्शन से जोड़ा गया है। आज देश के लगभग 80 जिलों के करीब सवा लाख गांवों के हर घर में नल से जल पहुंच रहा है।

कहने का तात्पर्य यह है कि पिछले 7 दशकों में जो काम हुआ था, वो आज के भारत ने सिर्फ 2 साल में ही उससे ज्यादा काम करके दिखाया है। अब वो दिन दूर नहीं जब देश की किसी भी बहन-बेटी को पानी लाने के लिए रोज-रोज दूर-दूर तक पैदल चलकर नहीं जाना होगा। वो अपने समय का सदुपयोग अपनी बेहतरी, अपनी पढ़ाई-लिखाई, या अपना रोजगार को शुरू करने में कर पाएंगी।

सरकार चाहती है कि भारत के विकास में, पानी की कमी बाधा ना बने। इसके लिए काम करते रहना हम सभी का दायित्व है। सबका प्रयास बहुत आवश्यक है। हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के प्रति भी जवाबदेह हैं। पानी की कमी की वजह से हमारे बच्चे, अपनी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में ना लगा पाएं, उनका जीवन पानी की किल्लत से निपटने में ही बीत जाए, ये हम नहीं होने दे सकते। इसके लिए हमें युद्धस्तर पर अपना काम जारी रखना होगा।

आजादी के 75 सालों में बहुत समय बीत गया। इसलिए अब हमें बहुत तेजी करनी है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि देश के किसी भी हिस्से में 'टैंकरों' या 'ट्रेनों' से पानी पहुंचाने की फिर नौबत न आए। यही नहीं, देश में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां प्रदूषित पानी की दिक्कत है, कुछ क्षेत्रों में पानी में आर्सेनिक की मात्रा अधिक होती है। ऐसे क्षेत्रों में हर घर में पाइप से शुद्ध जल पहुंचाना, वहां के लोगों के लिए जीवन को मिले सबसे बड़े आशीर्वाद की तरह है।

आपको पता है कि एक समय, इन्सिफेलाइटिस-दिमागी बुखार से प्रभावित देश के 61 जिलों में नल कनेक्शन की संख्या सिर्फ 8 लाख थी। आज ये बढ़कर 1 करोड़ 11 लाख से ज्यादा हो गई है। देश के जो जिले विकास की दौड़ में सबसे पीछे रह गए थे, जिन जिलों में विकास की एक अभूतपूर्व आकांक्षा है, वहां प्राथमिकता के आधार पर हर घर जल पहुंचाया जा रहा है। आकांक्षी जिलों में अब नल कनेक्शन की संख्या 31 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 16 लाख से ज्यादा हो गई है।

आज देश में पीने के पानी की सप्लाई ही नहीं, पानी के प्रबंधन और सिंचाई का एक व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने को लेकर भी बड़े स्तर पर काम चल रहा है। पानी के प्रभावी प्रबंधन के लिए पहली बार जल शक्ति मंत्रालय गठित करके इसके अंतर्गत पानी से जुड़े अधिकतर विषय लाए गए हैं। मां गंगा के साथ-साथ दूसरी नदियों के पानी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए स्पष्ट रणनीति के साथ काम चल रहा है।

वहीं, अटल भूजल योजना के तहत देश के 7 राज्यों में ग्राउंडवॉटर लेवल को ऊपर उठाने के लिए काम हो रहा है। बीते 7 सालों में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत पाइप इर्रिगेशन और माइक्रो इर्रिगेशन पर भी बहुत बल

दिया गया है। अब तक 13 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन को माइक्रो इरिगेशन के दायरे में लाया जा चुका है। 'पर ड्राप मोर क्रॉप'- इस संकल्प को पूरा करने के लिए अनेक ऐसे प्रयास चल रहे हैं।

गौर करने वाली यह भी है कि मौजूदा सरकार द्वारा लंबे समय से लटकी सिंचाई की 99 बड़ी परियोजनाओं में से लगभग आधी पूरी की जा चुकी हैं और बाकियों पर तेजी से काम चल रहा है। देशभर में डैम्स की बेहतर मैनेजमेंट और उनके रख-रखाव के लिए हजारों करोड़ रुपए से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 200 से अधिक डैम्स को सुधारा जा चुका है।

आप जानते हैं कि कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में भी पानी की बहुत बड़ी भूमिका है। जब घर घर जल पहुंचेगा तो बच्चों का स्वास्थ्य भी सुधरेगा। हमारे यहां कहा गया है- उप-कर्तुम् यथा सु-अल्पम्, समर्थो न तथा महान्। प्रायः कूपः तृषाम् हन्ति, सततम् न तु वारिधिः। यानि, पानी का एक छोटा सा कुआं, लोगों की प्यास बुझा सकता है जबकि इतना बड़ा समंदर ऐसा नहीं कर पाता है। ये बात कितनी सही है!

विश्लेषण

नीति आयोग की रिपोर्ट “कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स (CWMI), ए नेशनल टूल फॉर वाटर मेजरमेंट, मैनेजमेंट एंड इम्प्रूवमेंट.” भारत अपने इतिहास के सबसे भयंकर जल संकट से जूझ रहा है और देश के करीब 60 करोड़ लोगों यानी 45 प्रतिशत आबादी पानी की भारी कमी का सामना कर रही है। विश्व जल परिषद (2010) ने माना है कि जल संकट का मुख्य कारण उपयोग और उपलब्ध जल संसाधन के बीच असंतुलन है। करोलिन स्वाहनी ने शोध पत्र Women’s Role and Participation in Water Supply Management में लिखा है कि दुनिया में हर जगह महिलाएं असमान संभावनाओं का अनुभव करती हैं। Dzimbiri & Pendame (2008) की रिपोर्ट Women in Formal Employment and Politics: Analysis of Women in Decision Making Positions में महिलाओं को पुरुषों की तरह समान अधिकारों, अवसरों, जिम्मेदारियों तथा विकल्पों को नहीं दिया जाता जिस तरह पुरुष अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं।” महिलाएं पानी इकट्ठा करने के लिए रोज घंटों संघर्ष करती हैं जबकि स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर जल आपूर्ति प्रबंधन तथा विकास की नीतियाँ बनाने में उनको दरकिनार कर दिया जाता है। Daniel Coppard (2001) की रिपोर्ट The Rural Non-Farm Economy in India में ग्रामीण महिला आजीविका की व्याख्या है। महिलाओं की आजीविका में भेदभाव होता है। महिलाओं की आजीविका पर स्थानीय बाधाओं, खराब बुनियादी तथा क्रियान्वयन का प्रभाव पड़ता है।

बुंदेलखंड में है पानी का संकट

देश में अटल बिहारी वाजपेयी ही ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे, जिनका ध्यान बुंदेलखण्ड की इस समस्या पर गया। उन्होंने यह समझ लिया था कि पलायन रोकने और बुंदेलखण्ड के विकास के लिये यहाँ की पानी की समस्या को खत्म करना बेहद जरूरी है। इसीलिये अपने कार्यकाल के दौरान वर्ष 2002 में उन्होंने केन-बेतवा लिंक परियोजना की

परिकल्पना तैयार करवाई। इसके जरिए उनका उद्देश्य बुंदेलखण्ड की दो बड़ी नदी केन एवं बेतवा को आपस में जोड़कर बारिश के पानी को बर्बाद होने से रोकना था, ताकि बारिश के पानी का संग्रहण और सही उपयोग हो और प्यासा बुंदेलखण्ड हरियाली से भरा क्षेत्र बन पाये। स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद देश में कई सरकारें केन्द्र में आईं और गईं, मगर बुंदेलखण्ड की इस समस्या की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसके बाद एक बार फिर जब भाजपा सरकार बहुमत के साथ केन्द्र में आई, तब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने फिर से अटल जी के इस सपने को पूरा करने की ठानी। काफी समय तक यह परियोजना पानी बंटवारे के विवाद के चलते उलझी रही। करीब 19 वर्ष बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से पिछले वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के सहयोग से दोनों प्रदेश पानी बंटवारे पर सहमत हुए। उसके बाद इस परियोजना को आगे बढ़ाने की शुरुआत की गई।

केन-बेतवा नदियों को लिंक करने के लिये बजट

भारत ने इस बार आत्म-निर्भर अर्थ-व्यवस्था की तरफ एक और मजबूत कदम बढ़ाते हुए देश के अलग-अलग क्षेत्रों में नदियों को एक करने के प्रस्ताव को केन्द्रीय बजट में पास किया है। इसमें प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा विशेष रूप से केन-बेतवा नदियों को लिंक करने के लिये 44 हजार 605 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है। इस योजना में 90 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार खर्च करेगी। शेष दस फीसदी मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश सरकार खर्च करेगी। हम लोग पुराने समय से देखते आये हैं कि कई बार पानी के अभाव में बुंदेलखण्ड के किसानों को कई तरह की आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मगर अब प्रधानमंत्री श्री मोदी का बुंदेलखण्ड के विकास पर विशेष ध्यान होने से स्वीकृत हुई केन-बेतवा लिंक परियोजना महिलाओं के जीवन में बदलाव लायेगी। इस योजना पर करीब 44 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। किसानों के खेत में पानी पहुँचाने के लिये इस परियोजना से प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भगीरथ के समान कार्य किया है, जिससे बुंदेलखण्ड का विकास और अधिक तेजी से होगा। अब बुंदेलखण्ड के खेतों में और अधिक हरियाली आयेगी और गर्मी के मौसम में भी खेतिहर मजदूरों को रोजगार की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा।

केन-बेतवा लिंक परियोजना में यूपी-एमपी के 13 जिले

केन-बेतवा लिंक परियोजना में मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश के 13 जिले आते हैं। इनमें मध्यप्रदेश के 9 जिले पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन शामिल हैं। वही उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर जिले हैं। इस पूरी योजना से इन सभी जिलों को पेयजल के साथ सिंचाई में लाभ होगा, जिससे करीब साढ़े नौ लाख किसानों को फायदा पहुँचेगा। उनका जीवन स्तर सुधरेगा और आय में वृद्धि होगी। करीब 10 लाख हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई हो सकेगी और 62 लाख लोगों को पीने का साफ पानी मिल सकेगा। इस प्रोजेक्ट के तहत 103 मेगावाट हाइड्रो पावर और 27 मेगावाट की क्षमता वाला सोलर प्लांट भी बनाया जायेगा। परियोजना से उद्योग-धंधों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे युवाओं के लिये रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पलायन भी कम होगा।

आशा करता हूँ कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के इस प्रयास से बुंदेलखण्ड की जनता लाभान्वित होगी और हमारा बुंदेलखण्ड विकास की नई उड़ान भरेगा।

बुंदेलखंड को सूखा का पर्याय माना जाता है और यही इस इलाके की पहचान भी बन गया है, मगर केंद्र सरकार द्वारा मंजूर की गई केन-बेतवा लिंक परियोजना इस इलाके के माथे पर लगे सूखा के कलंक को तो दूर करेगी ही, साथ में यह भी उम्मीद जाग उठी है। बुंदेलखंड मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 14 जिलों को मिलाकर बना है, इस इलाके के बड़े हिस्से की प्रमुख समस्या पानी की है। इसके चलते एक तरफ खेती पर असर होता है तो वहीं दूसरी ओर लोगों को पीने के पानी के लिए जद्दोजहद करनी होती है। यहां के लोगों को अरसे से केन-बेतवा लिंक परियोजना के अस्तित्व में आने का इंतजार है ताकि एक बड़ी समस्या से निजात मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने बुधवार को लगभग 45 हजार करोड़ की इस परियोजना को मंजूरी दे दी। इस परियोजना से जहां साढ़े 10 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी, वहीं 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिल सकेगा। इस परियोजना का सपना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था। इस परियोजना से मध्य प्रदेश के सिर्फ बुंदेलखंड के छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, सागर और दतिया के अलावा शिवपुरी, विदिशा और रायसेन को भी लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह परियोजना बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए वरदान है और एक नया सवेरा भी है। 44 हजार 605 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना के पूरा होने पर 103 मेगा वाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न होगी। परियोजना से बुंदेलखंड में भी खुशहाली और सम्पन्नता आएगी। परियोजना के लिये केंद्रीय समर्थन के रूप में 39 हजार 317 करोड़ रुपये, सहायक अनुदान के रूप में 36 हजार 290 करोड़ रुपये और ऋण के रूप में 3,027 करोड़ रुपये की धनराशि को मंजूर किया गया है। यह परियोजना भारत में नदियों को आपस में जोड़ने की अन्य परियोजनाओं का भी मार्ग प्रशस्त करेगी। इस परियोजना के पूरा होने से मध्यप्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 8 लाख 11 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ेगा तथा खुशहाली आएगी। जल संकट से प्रभावित प्रदेश की 41 लाख आबादी को पेयजल की सुविधा प्राप्त होगी। परियोजना से भू-जल स्तर की स्थिति सुधरेगी। इस परियोजना से प्रदेश के पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, सागर, दतिया, शिवपुरी, विदिशा, रायसेन जिले लाभान्वित होंगे। परियोजना से 103 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, जिसका उपयोग पूर्णरूप से मध्यप्रदेश करेगा। जल आपूर्ति होने पर बुन्देलखण्ड क्षेत्र में औद्योगीकरण एवं निवेश को बढ़ावा मिलेगा। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

बुंदेलखंड में पानी की कमी को लेकर पिछले कई सालों से चल रही समस्या के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने 'हर घर जल' योजना की शुरुआत मंगलवार को बुंदेलखंड से की। इसके अंतर्गत 2185 करोड़ रुपये की 12 ग्रामीण पाइप पेयजल परियोजना के निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया गया। इस योजना को चार चरणों में पूरा किया जाएगा। जिसमें पहला चरण बुंदेलखंड में, दूसरा विंध्याचल, तीसरा इंसेफेलाइटिस व जापानी बुखार से पीड़ित क्षेत्र और चौथा फ्लोराइड और आर्सेनिक ग्रसित गंगा तटीय क्षेत्र में पानी पहुंचाने का काम होगा। यूपी के जलशक्ति मंत्री डॉ. महेंद्र सिंह ने कहा कि झांसी, ललितपुर और महोबा के 770 ग्राम पंचायतों को शुद्ध जल पहुंचाने की

शुरुआत होगी। जल्द ही बुंदेलखंड के हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचेगा। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक झांसी में 1627.94 करोड़ की लागत वाली 10 योजनाएं वाटर पर आधारित होंगी। ललितपुर में 1623.47 करोड़ की लागत वाली 16 सरफेस वाटर रिसोर्स और 12 भूजल (ग्राउंड वाटर) आधारित पाइप पेयजल योजनाएं होंगी। वही महोबा में 1219.74 करोड़ की लागत से 364 गांवों तक पानी पहुंचाया जाएगा।

जलशक्ति अभियान की विशेषताएं

बुन्देलखण्ड की आर्थिक स्थिति

मध्यप्रदेश व उत्तरप्रदेश के क्षेत्रों में जल विवाद से बुन्देलखण्ड के उत्तरप्रदेश की सिंचाई समय के अनुसार नहीं हो पाई है। बुन्देलखण्ड के मध्यप्रदेश के १५ बांधों में सिल्ट जमा होने से बांधों की जलक्षमता पर असर पडा है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र तीस लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। इनमें से २४ लाख हेक्टेयर कृषि योग्य है। बुन्देलखण्ड(उ.प्र.) में 12 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करती है। इनमें से मात्र 4 लाख हेक्टेयर भूमि को ही सही में सिंच के लिए पानी दे पाता है। सिंचाई विभाग इसे 6 लाख हेक्टेयर बनाने के लिए प्रयासरत है। जामिनी, बेतवा, केन, धसान नदियां मध्यप्रदेश से बहकर आती है। मध्यप्रदेश इन्हें प्रमुखतया अपने क्षेत्र में प्रयोग करना चाहता है। सिल्ट जमा होने के कारण रनगवां बांध के जल भण्डारण की क्षमता 5.48 टीएमसी से घटकर 3.46 टी.एम.सी. रह गई है। बुन्देलखण्ड(उ.प्र.) को स्वाभाविक रूप से कम जल मिलेगा। विवादों को निपटाने के लिए मध्यप्रदेश क्षेत्र के परिषद का गठन किया गया, परन्तु 25 वर्षों से सभी मामले पेन्डिंग ही पड़े हैं। मं.प्र. सरकार ने केन नदी पर ग्रेटरगंगऊ बांध का निर्माण करने जा रही है। इसमें 214 टी.एम.सी. पानी भराव की क्षमता रहेगी। म.प्र. सरकार इसका आधा भाग पानी का मांग कर रही है। उ.प्र. सरकार का हिस्सा कितना होगा अभी भी असमंजस में है। आने वाले पांच वर्षों में बुन्देलखण्ड (उ.प्र.) का सिंचित भाग होगा। तालाबों की संख्या एवं क्षेत्रफल में क्रमशः कमी हो रही है। नलकूपों की संख्या कागजी आंकड़ों में बढ़ती रहती है, यथार्थ में नहीं। नलकूपों एवं हैण्डपम्पों में अव्यवस्था का प्रभाव कुओं पर विपरीत पड़ता है, सिंचाई का क्षेत्रफल सिकुड़ रहा है। फसल की भूमि में सिंचाई का प्रतिशत बुन्देलखण्ड में 34.5 प्रतिशत जबकि उ.प्र. में 84.2 प्रतिशत है। बुन्देलखण्ड विकासशील प्रदेश है और विकास की असीमित संभावनाओं को कोख में संजोए हुए है। जीवन की मूलभूत आवश्यकता जल प्राप्ति के संघर्षों में जूझ रहा है। पाठा (चित्रकूट) ऐसा प्रदेश है, जहां समाज अपनी बेटियों को व्याहने में संकोच करता है। जहां नारी अपनी अस्मिता को खोकर गाती है या रोती हैं- “भौरां तोरा पानी गजब करा जाए। गगरी न फूटे खसम मर जाए।’ उसे परिवार की प्यास बुझाने हेतु तपती चट्टानों पर चलते हुए एक किमी. से अधिक दूरी से जल लाना होता है। डॉ. सुरेश चन्द्र अवस्थी के अनुसार पाठा क्षेत्र के भूगर्भ में 12 किमी. चौड़ी तथा 110 किमी. लम्बी नदी बहती है, जिसमें से चालीस हजार गैलन प्रति घण्टे के हिसाब से प्राप्त किया जा सकता है। प्रतिवर्ष पेयजल हेतु 60 से 70 करोड़ रुपये का बजट बनता है पर प्रतिफल कुछ नहीं यह दुर्भाग्य ही है या जीवन के साथ खिलवाड़।

1. **जल अभाव को कम करना** - हमारा भारत देश एक ऐसा देश है जहा जनसंख्या विस्फोट और बढ़ते ओद्योगिकरण के कारण जल संसाधनों पर विपरीत प्रभाव पढ रहा है। अभी तक लोग भूमिगत जल का ज्यादा

उपयोग करते थे, लेकिन इनके संरक्षण का कोई उपाय नहीं किया गया इसलिये पर्यावरण विदों और वैज्ञानिकों का कहना है यदि जल्द ही पानी को प्रदूषित होने से नहीं रोका गया तो जल के प्राकृतिक स्रोत समाप्त हो जायेंगे। इस योजना को कई भागों में विभाजित किया गया है। जिससे पानी खराब होने से रोका जा सके और जल संरक्षण पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जा सके।

2. **शुरूआत की जायेगी** - केन्द्र सरकार जल संरक्षण के लिये नये मार्ग निकालेगी और बरसात के पानी को पूरे देश में संरक्षित करने पर जोर दिया जायेगा छोटे और बड़े जलाशयों की भी इस शुरूआती लिस्ट में शामिल किया गया साथ ही वनीकरण मतलब ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण से और वाटरशेड सिस्टम से भी जल स्तर में वृद्धि होगी।
3. **संकटग्रस्त क्षेत्रों की संख्या** - केन्द्र सरकार ने एक ऐसी रिपोर्ट पेश की थी जो कि रिपोर्ट पानी के सम्बन्ध में देश की विकट स्थिति को पेश करती है। इस रिपोर्ट के अनुसार 21 शहरों के लिये 2020 तक भू जल बिल्कुल नहीं बचेगा रिपोर्ट में 255 जिलों को हाई रिस्क जोन में रखा गया जहाँ पहले से पानी की सप्लाई की कमी है।
4. **जलाशयों का पुनरूत्थान** - राज्य सरकारें प्राकृतिक जलाशयों जैसे झील, तालाब, कुएँ और नदियों का संरक्षण नहीं कर पा रही जबकि पर्यावरण विदों ने कई बार इन जलाशयों में कम होते जल स्तर के बारे में राज्य सरकारों को चेताया है यदि जलाशयों का सही तरीका से संरक्षण किया जाये जल की कमी को काफी हद तक कम किया जा सकता है जलाशयों का उपयोग ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति में किया जा सकता है।
5. **खराब पानी का उपयोग**- असंकुचित पानी का दुबारा से उपयोग मतलब पुनः उपयोग योजना की मुख्य विशेषता है। यह शहरी क्षेत्रों को ध्यान में रखकर तय किया गया इसके लिये केन्द्र और राज्य सरकारों के साथ मिलकर ज्यादा से ज्यादा जल का रिसायकलिंग मतलब पुनःचक्रण प्लांट पर काम करना होगा इस तरह उपचारित पानी हानिकारक भी नहीं होगा और यह घरों तक सीधे पाईपलाईन द्वारा पहुँचाया जायेगा।
6. **किसानों की शिक्षा**- इस योजना के अन्तर्गत किसानों को जल संरक्षण के लिये शिक्षित भी किया जायेगा उन्हें बिना जल बर्बाद किये होने वाली आधुनिक सिंचाई तकनीक से भी अवगत कराया जायेगा पूरी तरह जलाशयों पर निर्भर रहने के स्थान पर उन्हें वर्ष भर के लिये जल का संरक्षण करना और सिंचाई में अधिकाधिक उपयोग करने की तकनीक भी सिखाई जायेगी।
7. **उद्योगों की राशनिंग**- बड़े उद्योगों की स्थापना से जल के उपयोग की सम्भावना अधिक बढ़ जाती है जिसके कारण उपसतही जल को सिंचित करना मुश्किल हो जाता है केन्द्र सरकार निकट भविष्य में उद्योगों के पानी उपयोग से राशन लेगी।
8. **योजना की देखवाल करने वाला विभाग**- माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने घोषणा की थी कि केन्द्र सरकार के तीन विभाग जलशक्ति अभियान में सहयोग करेंगे जल संसाधन विभाग मामले की जटिलता को देखते हुए पर्यावरण विभाग से सहयोग प्राप्त करेगा इसके अतिरिक्त कृषि मंत्रालय से भी सहायता मिलेगी।

9. **योजना से जुड़े संस्थान** - केन्द्र और राज्य सरकारें इस योजना को सफल बनाने के लिये समाज के सभी हिस्सों से सहायता की आवश्यकता होगी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिये जागरूकता लाना अनिवार्य है इसके लिये महत्वपूर्ण आंकड़े और जानकारी लोगो को मामले की जटिलता समझने में मदद करेगी जब उन्हें समझ आयेगा कि पानी की कमी के कारण उनका अस्तित्व खतरे में है इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे इसलिए इस कार्यक्रम में स्कूल और कालेज के छात्रों को जोड़ा जायेगा कुछ पर्यावरण केन्द्र और एन. जी. ओ. से भी आवश्यक मदद ली जायेगी आई. आई. टी. के इंजीनियर के अनुभव भी काम के लिये जायेगे जिससे कि वा जल संरक्षण की तकनीक में मदद कर सके एन.सी.सी., नेहरू युवा केन्द्र संगठन और कुछ अन्य संस्थाएँ भी इस योजना में सहयोगी सिद्ध होगी।

10. **योजना का कार्यकाल** - प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने घोषणा भी की है योजना को सफल बनाने के लिये बहुत कम समय है और बहुत कम समय में इस योजना को पूरा किया जाएगा जल शक्ति अभियान को 5 वर्षों में पूरा कर दिया जायेगा क्योंकि अब भू जल संरक्षण का यही एक मात्र तरीका है।

निष्कर्ष

महात्मा गाँधी के ग्राम संकल्पना की भारतीय सोच, विधियों और उनके मानदंडों पर आधारित हुए कार्यों का विवेचन किया गया है। देश की आधी आबादी के रूप में महिलाएँ हैं, गाँव-पंचायत में परिवार से लेकर खेती-बाड़ी जल से संबंधित कार्यों में उनकी सहभागिता के बगैर कार्य नहीं होता लेकिन जब नेतृत्व तथा निर्णय लेने की बारी आती है तब उनको दरकिनार कर दिया जाता रहा है लेकिन अब यह स्तर कम देखने को मिलता है। महिलाओं को भी आजीविका के उचित अवसर प्राप्त हो रहे हैं। पंचायत में महिलाओं के आर्थिक रूप से समृद्ध होने से समाज और फिर राष्ट्र समृद्ध हो रहा है। परियोजना में जल शक्ति अभियान का महिला आजीविका पर सकारात्मक असर पड़ा है। इस योजना में महिलाओं की भागीदारी का उचित प्रतिशत है।

सन्दर्भ सूची

1. सरकार, एस. के. भारती गिरिजा के. (2021). *भारत में जल और स्वच्छता क्षेत्रों में सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना*. जर्नल ऑफ वाटर, सेनिटेशन एंड हाइजीन फॉर डेवलपमेंट वॉल्यूम 11 नंबर 5, वाशदेव
2. श्रेष्ठ बालचंद्रन.(2020). *जल शक्ति मंत्रालय की भूमिका*. अंतर्राष्ट्रीय विधि पत्रिका प्रबंधन और मानविकी, खंड 3, अंक 21
3. भट्ट हिमांशु .(अगस्त 2020).*जल संरक्षण से आई खुशहाली*. आत्म निर्भर बना गाँव.अमर उजाला.
4. भट्ट हिमांशु.(अगस्त 2020).*नैनीताल: श्रमदान से दूर हुआ 6 ग्रामों का जल संकट*. सहेज रहे 75 लाख लीटर वर्षाजल. अमर उजाला.

5. भारत सरकार.(2019-20).जल शक्ति जन शक्ति, जल शक्ति मंत्रालय.
6. अभिनाश.(जून, 2019). जल शक्ति अभियान. योजना पत्रिका.
7. भरत शर्मा.(2019).मौलिक अधिकार बने शुद्ध पेयजल. दैनिक जागरण 24/09/2019.
8. भारत सरकार.(2013-22). पेयजल हेतु समर्थनकारी तथा संप्रेषण कार्यनीति संबंधी रूपरेखा. पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय.
9. कुलश्रेष्ठ वी के, जैन पी के और तेज सिंह. (2013). भू जल न्यूज, भारत में औद्योगिक क्लस्टर के आसपास भूजल की गुणवत्ता रतलाम (एमपी). खंड 28, केंद्रीय भूजल बोर्ड.उत्तर मध्य क्षेत्र. भोपाल.
10. स्वान, कारोलिन.(2011). जल आपूर्ति प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका और भागीदारी -घाना गणराज्य की केश स्टडी, उपसाला विश्वविद्यालय में सतत विकास में मास्टर थीसिस, नंबर 53, 53 पीपी, 30 ईसीटीएस/एचपी.
11. किशोर सुनीता, गुप्ता कमला.(2009).भारत में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस -3), जनसंख्या विज्ञान के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान.
12. नरूला मंजू.(2009).शिक्षा, लिंग, उत्तरप्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश और भागीदारी. शैक्षिक प्रशासन विभाग एनयूईपीए.